

11/12/22

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत। रिपोर्ट जलिया को अल्लोका
किया। दावा दर्ज रजिस्ट्रार किया जाये। प्रतिवादीगा
को जजिने नोरीश तबब किया जाकर पत्रावली दिनांक
14/12/22 को पेश है।

3/12/22

पत्रावली आग तो पेन्नी को प्रार्थना पत्र पेश होने पर
पेन्नी से लीगई। वादी जज व उनके वकील न उपस्थित
होकर एक प्रार्थना पत्र जाहत शासन को द जिद्दा करे का
पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को हुता गया।
शासन बाद जिद्दा करे की अहमति प्रदान की जाती है।
वादी अपने हित को सुरक्षित रखने हेतु पुनः वादलाक
के लिए स्वतंत्र रहेगा। वादी का वाद इमीत्ता पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर 14 को पेश कर
दाखिल दयाल है।

जजिने नोरीश
केदार

मुनाथ भांडु

पत्रावली
14/12/22